68

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किलकोर्ट

खण्डपीठ रीवा, जिला-रीवा म.प्र.

5.14

Rs.20/-

रमागोविन्द द्विवेदी तनय श्री गोकुल प्रसाद द्विवेदी, उम्र 45 साल

निवासी ग्राम हुआरी, तह. हुजूर, जिला-रीवा म.प्र. -- निगरानीकर्ता

बनाम

R-1305-III/14

म.प्र. शासन --- गैरनिगरानीकर्ता

2- रमाकान्त पाण्डेय तनय श्री रामनाथ पाण्डेय निवासी पड़रा तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र.

श्री दिवाकर सोनौरा ..एड द्वारा आज दिनांक 20.03.14 प्रस्तुत किया गया। के आदेश दि016-3-16 के मुताबिक संशोधन रमाविन्द किया 20-5-16 रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार, तह.

हुजूर, जिला-रीवा म.प्र. के आदेश दि. 24.12.13

बाबत प्रकरण क्र. 8 /अ-12/13-14

---

अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र.भू-रा.सं. सन्

1959 ई.

---

1170

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि आ.नं.310 रकबा 445 हे. ,311 रकबा 0.097 हे. , 315 रकबा 0.049 हे., 316 रकबा 0.372 हे., 320 रकबा 0.158 हे. स्थित ग्राम हुआरी, ज.नं. 279, प.ह. हुआरी, तह. हुजूर, जिला रीवा म.प्र. अन्य के अतिरिक्त आवेदक की पैत्रिक भूमि है, जिसकी सीमांकन हेतु आवेदन वर्ष 2012 मे आवेदक द्वारा दिया गया था, जिसमें राजस्व निरीक्षक सर्किल गुर्ह द्वारा, तह. हुजूर जिला-रीवा म.प्र. द्वारा मौके से जाँच की जाकर जाँच प्रतिवेदन दि. 28.10.12 सीमांकन प्रकरण मे प्रस्तुत किया गया था और उक्त प्रतिवेदन मे - राजस्व निरीक्षक द्वारा उल्लेख किया गया था, कि आ.ख.क्र. 297 जो कि शासकीय तालाब की मेड़ है, जो मौके पर भिन्न है , इस

क्रमशः ... रमा गोविन्द द्विवेदी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

---

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 1305–तीन/2014 जिला --रीवा

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 17–8–2016 | आवेदक के अधिवक्ता श्री दिवाकर सोहेगौरा उपस्थित । उनके द्वारा यह निगरानी तहसीलदार हुजूर, जिला–रीवा के प्रकरण क्रमांक 08/अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 24.12.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।<br>2/ प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि रमोगोवन्दि द्विवेदी द्वारा म0प्र0 भू0राजस्व संहिता की धारा 129 के तहत् आवेदन–पत्र दिया कि ग्राम दुआरी भूमि खसरा नं 310/0.445, 311/0.097, 315/0.047, 316/0.372, 320/0.158 हैक्टर का भूमि स्वामी है, तथा वह अपीनी भूमि का सीमांकन कराना चाहता है । आवेदन पत्र प्राप्त होने पर न्यायालय तहसीलदार हुजूर द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया एवं राजस्व निरीक्षक को उक्त आराजियात का सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया । जिस पर राजस्व निरीक्षक ने अपना प्रतिवेदन दिनांक 28.10.2012 को मौके की जांच कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन पर आवेदक द्वारा आपत्ति की गई। न्यायालय तहसीलदार ने प्रतिवेदन का अवलोकन किया पक्षकारों को सूचना दी गई एवं दिनांक 24.12.2013 को सीमांकन का आदेश पारित किया गया तथा आपत्ति निराधार मानते हुये प्रकरण समाप्त कर दिया गया । तहसीलदार हुजूर के उक्त आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।<br>3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह बताया है कि, | |

विवादित भूमि आवेदक की पैत्रिक भूमि है । जिसका सीमांकन हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2012 में दिया गया था । राजस्व निरीक्षक सर्किल गिर्द द्वारा मौके की जांच की जाकर जांच प्रतिवेदन दिनांक 28.10.12 को सीमांकन का प्रकरण प्रस्तुत किया गया था । प्रतिवेदन में राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रार्थी की आराजी नं0 310, 311 के नक्शा खसरे में दर्ज रकबे से कम या बड़ा होने बावत कोई टीप प्रतिवेदन में प्रस्तुत नहीं की है । किन्तु प्रतिवेदन के बाद दूसरे राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रार्थी को भूमियों की सरहदी मौके से नाम करने गये बगैर कोई नाप जोख किंये ही प्रार्थी को अ0नं0 310, 311 के नक्शा खसरे दर्ज रकबे से बड़ा होने का गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । जिसमें आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपात्ति निरस्त करते हुये सीमांकन प्रमाणित कर दिया गया । प्रार्थी को बगैर सूचना दिये हुये आदेश पारित कर दिया।

4/ अनावेदक अधिवक्ता श्री रामस्वरूप पाण्डे उपस्थित । उनके द्वारा अपने लिखित तर्क में यह बताया है कि, खसरा नं 310/0.445, 311/0.097, 315/0.047, 316/0.372, 320/0.158 हैक्टर स्थित ग्राम दुआरी, जन0नं0 279 प0ह0 दुआरी तह0 हुजूर जिला–रीवा म0प्र0 के सीमांकरन बावत आवेदन पत्र तहसीलदार रीवा के न्यायालय में दिनांक 16.06.2011 को प्रस्तुत किया गया था । जिस पर तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक को उक्त आराजियात का सीमांकन प्रतिवेदन करने हेतु निर्देशित किया । जिस पर राजस्व निरीक्षक ने अपना प्रतिवेदन दिनांक 28.10.2012 को मौके की जांच कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । प्रतिवेदन में ही यह लेख किया गया कि सरहर्दी कास्तकारों द्वारा आपत्ति किये जाने के कारण

पत्थर नहीं गड़वाये गये और अंत में यह राय व्यक्त किया की खसरे व नक्शे में मौका के अनुसार सुधार किया जाना आवश्यक है । जिस पर न्यायालय तहसीलदार ने प्रतिवेदन में की गई टिप्पणी को देखते हुये जांच प्रतिवेदन को निरस्त कर दिया था । इसके पश्चात तहसीलदार ने कई पटवारियों व राजस्व निरीक्षकों का एक दल गठित कर सीमांकन करने का निर्देश दिया था । गठित दल द्वारा दिनांक 18.01.2013 को मौके की जांच हितबद्ध पक्षकारों को पूर्व सूचना देकर किया था। यह सूचना दिनांक 17.01.2013 को दी गई थी, जिसमें निगरानीकर्ता का नाम सूचना में क्रमांक 01 पर दर्ज है, और उसके हस्ताक्षर अन्य लागों के साथ दिनांक 17.01.2013 को ही बने है । इस कारण निगरानीकर्ता का यह कथन कि आयुक्त जनसुवाई का आवेदन देने के पश्चात उसे बिना सूचना दिये सीमांकन की कार्यवाही की गई है, पूर्ण रूप से निगरानीकर्ता का कथन बनावटी एवं असत्य है । तर्क में यह भी कहा गया है कि आवेदक द्वारा जो शिकायत सीमांकन न किये जाने की आयुक्त संभाग रीवा के समक्ष जनसुनवाई के माध्यम से की गई थी, वह आवेदन असत्य कथनों के साथ दिया गया था । जिस पर आयुक्त द्वारा प्रतिवेदन मंगाया गया । आयुक्त के प्रतिवेदन पर तहसीलदार द्वारा उन सभी बिन्दुओं पर अपना प्रतिवेदन दिनांक 11.03.2013 को आयुक्त के न्यायालय में भेजा गया था । इस प्रतिवेदन में तहसीलदार ने स्वयं यह लेख किया की सीमांकन के नियमों के पालन करते हुये सीमांकन दिनांक 10.01.2013 को किया जा चुका है तथा यह भी प्रतिवेदित किया था की नाम के समय आवेदक एवं सरहर्दी कास्तकार व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिसमें कोई आपत्ति किसी के द्वारा नहीं की गई थी । यह भी प्रतिवेदित

किया गया था की आवेदक ने स्वयं पंचनामा में हस्ताक्षर किया और नाप के समय उसने भी कोई आपत्ति नहीं किया था । इस प्रकार इस निगरानी प्रकरण में आवेदक द्वारा दिनांक 18.01.2013 की पुष्टि में जो आदेश तहसीलदार द्वारा दिनांक 24.12.2013 को दिया गया था । वह उसे बिना सूचना दिये हुये पारित हुआ है ऐसा कथन गलत है । सीमांकन दिनांक 24.12.2013 की पुष्टि होने के बाद आवेदक द्वारा निगरानी दिनांक 20.03.2014 को प्रस्तुत की गई है, जो अवधि बाधित है। सीमांकन के समय आवेदक उपस्थित था, किन्तु उसने न तो मौके पर और न तहसीलदार के न्यायालय में सीमांकन के विरूद्व कोई आपत्ति प्रस्तुत किया है । जिसे तहसीलदार ने प्रश्नाधीन आदेश में निरस्त किया है । कोई ठोस आधार भी गलत सीमांकन कैसे है । इस संबंध में कोई लेख नहीं है । उपरोक्त कारणों से निगरानी सारहीन होने से निरस्त किया जावे ।

5/ उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये एवं अधीनस्थ न्यायलयों के अभिलखों का अवलोकन किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राग दुआरी भूमि खसरा नं 310/0.445, 311/0.097, 315/0.047, 316/0.372, 320/0.158 हैक्टर की भूमि आवेदक की पैत्रिक भूमि है । जिसकी सीमांकन हेतु आवेदन वर्ष 2012 में आवेदक द्वारा दिया गया था । जिसमें राजस्व निरीक्षक सर्किल गिर्द द्वारा तहसील हुजूर, जिला–रीवा द्वारा दल गठित कर उक्त स्थल की जांच की गई तथा मौके की जांच कर प्रतिवेदन तैयार किया गया । प्रतिवेदन दिनांक 28.10.12 को सीमांकन में प्रकरण में प्रस्तुत किया गया जिसमें राजस्व निरीक्षक के द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि आराजी ख0क्र0 297 जो कि शासकीय तालाब की मेड़ है, वह

मौके पर भिन्न है । आराजी क्र0 295, 296, 297 उत्तरी सीमा व दक्षिणी सीमा की पूर्व से पश्चिम लम्बाई में 2.00 जरीब का अन्तर मौके पर पाया गया । जिसके कारण तालाब के पूर्व स्थित कृषकों की भूमियों में अन्तर होना स्वाभाविक है । आराजी क्र0 310 के पश्चिम सीमा में स्थित कृषकों की भूमी तालाब से लगी हुई है और उनकी भूमि मौके पर नक्शानुसार नहीं है जिसके कारण आपत्ति की गई है । तालाब तैयार करते समय पूर्व में स्थित कृषकों की भूमियों में लगभग 2.00 जरीब मिट्टी डाली गई है किन्तु खसरे व नक्शे में तालाब का रकबा तथा स्थित के संबंध में कोई सुधार नही किया गया है। ऐसी स्थिति में खसरे व नक्शे का सुधार करना चाहिये था, ताकि भविष्य में विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो सके ।

6/ राजस्व निरीक्षक के तर्को पर विचारोपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि तहसीलदार ने जो आदेश पारित किया है वह विधि के विपरीत है । अतः तहसीलदार के द्वारा पारित किया गया आदेश निरस्त किया जाता है और आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि कलेक्टर एस0एल0आर के नेतृत्व में दल गठित कर मशीन से सीमांकन की कार्यवाही संपादित करावें, जिसमें सभी पड़ौसी काश्तकारों को विधिवत नोटिस जारी कर उपस्थित होने हेतु सूचित किया जावे । इसके अलावा शासकीय तालाब का भी सीमांकन किया जावे और यदि उसमें अतिक्रमण पाये जाते है तो विधिपूर्वक कार्यवाही कर हटाया जाये ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य